

अति-आवश्यक



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

☎ : 0141-2385027(O)

E-Mail ID: rajpr.dsplan@rajasthan.gov.in

क्रमांक: F4 ( ) PRD/ DP/ GPDP/ 2019-20/935

जयपुर, दिनांक: 7/9/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद- समस्त।


**विषय:—People's Plan Campaign for Participatory and Comprehensive Gram Panchayat Development Plan (GPDP) - October 2 to December 31, 2018 के क्रियान्वयन हेतु जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में।**

**संदर्भ:—अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार का अ.शा. पत्र क्रमांक 3/AS(BP)/MoPR-2018 दिनांक 30.08.2018 एवं महानिदेशक, NIRD हैदराबाद का पत्र दिनांक 29.08.2018**

उपरोक्त विषयान्तर्गत पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे People's Plan Campaign for Participatory and Comprehensive Gram Panchayat Development Plan (GPDP) - October 2 to December 31, 2018 के क्रियान्वयन हेतु जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है :-


कार्यालय का विवरण	अधिकारी का पदनाम
जिला परिषद	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पंचायत समिति	विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत	ग्राम विकास अधिकारी

मिशन अन्त्योदय के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों का बेस लाईन सर्वे माह सितम्बर, 2018 (अक्टूबर, 2017 में किये गये बेस लाईन सर्वे से शेष, रही ग्राम पंचायतों का) में करने के लिए नोडल अधिकारियों का पंजीयन web Portal(www.gpdp.nic.in) पर करें एवं प्रगति से विभाग को अवगत करावें। संदर्भित पत्रों एवं निर्देशों की प्रतियां विभागीय ई-मेल द्वारा दिनांक 05.09.2018 को आपको प्रेषित की जा चुकी हैं।

  
प्रमुख शासन सचिव  
ग्रा.वि. एवं पं.रा.विभाग

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार 214, द्वितीय तल, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. निजी सचिव, महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला आयोजना प्रकोष्ठ-समस्त।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- समस्त।

  
संयुक्त शासन सचिव  
(जिला आयोजना)